रिव्यू प्रकरण कमांकः 2017
प्रस्तुती दिनांकः 24-04-2017

न्यायालयः- रा. रा. श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल,
मध्यप्रदेश ग्वालियर

विष्णुप्रसाद पिता स्व. श्री मन्नालाल शुक्ला,
उम्रः- 73 वर्ष, धन्धाः- कुछ नहीं
निवासीः- 101 द्रविड नगर, इन्दौर (म.प्र.)

---- **प्रार्थी**

विरुद्ध

द्वारा आज दि. 25/4/17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(1) श्रीमान अपर आयुक्त,
इन्दौर संभाग, इन्दौर (म.प्र.)

(2) श्रीमान अपर कलेक्टर,
कलेक्टर कार्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

(3) श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय,
मल्हारगंज क्षेत्र, कलेक्टर कार्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

(4) हरियाणा नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित,
पताः- 13 स्वास्तिक नगर, इन्दौर (म.प्र.), तर्फे,
अध्यक्ष श्री लक्ष्मीनारायण पिता स्व. श्री जैनारायण शर्मा
निवासीः 13 स्वास्तिक नगर, इन्दौर (म.प्र.)

---- **प्रतिप्रार्थीगण**

आवेदन - पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 सहपठित धारा 32 भू-राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी की ओर से विनम्र निवेदन है किः-

1. **: : आदेश जिसके विरुद्ध रिव्यू आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है : :**

यह रिव्यू आवेदन-पत्र **निगरानी प्रकरण कमांक 2702-पीबीआर/2016** (***हरियाणा नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था***

मयादित विरूध्द अपर आयुक्त इन्दौर व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 16-02-2017 के संबंध में प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1228–पीबीआर/17 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–7–2017	आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के विद्वान अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16–2–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक की ओर से इस न्यायालय में अभिलेख से परिलक्षित प्रथम दृष्टया आदेश में त्रुटि होना आधारों में तर्क के दौरान नहीं दर्शाया गया है । कोई ऐसी बात अथवा साक्ष्य भी उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है, जो कि मूल आदेश पारित करते समय उनके संज्ञान में नहीं थी । उनके द्वारा विस्तार से आधार प्रस्तुत करते हुए केवल यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय व्यवहार न्यायालयों एवं इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दृष्टिगत नहीं रखा गया है । प्रथमतः इस न्यायालय के आदेश में निकाले गये निष्कर्ष में हस्तक्षेप किये जाने का प्रावधान संहिता की धारा 51 में नहीं है । द्वितीय आवेदक की ओर से निगरानी मेमों एवं प्रस्तुत तर्कों के समर्थन में ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिससे प्रथम दृष्टया इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	